SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

आवारा कुत्तों का विधिक एवं प्रबन्धकीय अध्ययन

प्रवीण कुमार शुक्ला, पीएच–डी, **देव कुमार ओझा,** विधि विभाग
विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors

प्रवीण कुमार शुक्ला, पीएच–डी
देव कुमार ओझा, पीएच–डी
E-mail : prav5514@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/05/2026
Revised on : 23/07/2026
Accepted on : 01/08/2026
Overall Similarity : 00% on 24/07/2026

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
0%
Overall Similarity

Date: Jul 24, 2026 (04:04 PM)
Matches: 0 / 3177 words
Sources: 0

Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

Verify Report: Scan this QR Code

शोध सार

भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर पशु अधिकार और जन सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस तीव्र हो गई है। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या केवल पशु कल्याण का विषय न होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, नागरिक सुरक्षा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा एक बहुआयामी विषय है। ऐतिहासिक, जैविक और सामाजिक साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि आवारा कुत्ते मानव बस्तियों के साथ–साथ विकसित हुये थे। भारत में आवारा कुत्तों की जनसंख्या के प्रबंधन हेतु पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 द्वारा एक वैधानिक, मानवीय और वैज्ञानिक संरचना प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय–समय पर प्रतिपादित किया है कि आवारा कुत्तों की हत्या या प्रवजन विधि–विरुद्ध है और जनसंख्या नियंत्रण का एकमात्र स्वीकार्य उपाय नसबंदी एवं टीकाकरण है। आवारा कुत्तों का प्रबंधन मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रशासनिक विकल्प न होकर एक संवैधानिक अनिवार्यता है।

मुख्य शब्द

आवारा कुत्ता, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, नसबंदी, टीकाकरण.

आवारा कुत्ता (स्ट्रीट डॉग्स) क्या हैं?

अधिकांशतः स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले कुत्ते, कुत्तों की एक प्राचीन नस्ल से सम्बन्धित हैं, जिन्हें 'पैरिया डॉग' के नाम से जाना जाता है। मनुष्यों द्वारा स्थायी बस्तियों में निवास के साथ ही एशिया और अफ्रीका में कुत्तों का प्रादुर्भाव हुआ। पालतू पशुओं के रूप में पहला पशु 'कुत्ता' अपने मालिक के प्रति निष्ठा और प्रेम के कारण मनुष्य या मानवजाति का सबसे 'प्रिय पशु' बन गया। यह हमेशा से भोजन के अवशेषों पर निर्भर रहने वाला पशु रहा हैं। भारत में सम्भवतः 14,000 वर्ष या उससे भी अधिक समय से यह अस्तित्व में है। 'स्ट्रे' (stray) शब्द का प्रयोग आवारा कुत्तों के लिए किया जाता है जोकि

किसी के 'स्वामित्व वाला कुत्ता' अर्थात् 'पालतू कुत्ता' नहीं होता है। यद्यपि, सभी कुत्ते, चाहे वह स्वामित्व वाले हो या आवारा– समान गुणों वाले होते हैं– जैसे कि एक वफादार मित्र होना, रक्षक के रूप में कार्य करना, मनुष्यों को प्रसन्न करने की उत्सुकता रखना तथा उनके साथ सामंजस्य में रहना।

शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की बड़ी संख्या मोंग्रेल्स या मिश्रित प्रजाति की पायी जाती है। आपवादिक परिस्थितियों में सड़क के आस–पास रहने वाले एवं विचरण करने वाले कुत्ते आवारा या स्वामित्वहीन पशु नहीं होते है। कुछ आवारा कुत्ते ऐसे होते हैं जिनके कई मालिक होते है। आस–पास के रहने वाले लोग इन कुत्तों के प्रति समय–समय पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं– जैसे उन्हें भोजन देना, उपचार कराना, टीकाकरण कराना तथा रक्षा करना इत्यादि।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 'आवारा कुत्ता' को ''कोई भी कुत्ता जो किसी व्यक्ति के सीधे नियंत्रण में न हो या जिसे घूमने से रोका न गया हो'' के रूप में परिभाषित किया गया है। आवारा कुत्ते निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं:

(क) पालतू कुत्ते, जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं;

(ख) परित्यक्त पालतू कुत्ते, जिनमें अनियंत्रित प्रजनन से पैदा हुये उनके पिल्ले भी शामिल हैं; और

(ग) बिना मालिक वाले कुत्ते, जो सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं।

कुत्तों की जनसांख्यिकी

किसी समुदाय में पाये जाने वाले आवारा कुत्तों का वितरण और उनकी संख्या मानवीय व्यवहार पर निर्भर करती है। चिली के पुएर्तो नटालेस (Puerto Natales, Chile) में बिना स्वामित्व वाले आवारा कुत्तों पर रेडियम कॉलर लगाकर उनके आवासीय क्षेत्र का अध्ययन किया गया, तो यह पाया गया कि उनमें से अधिकांश आवारा कुत्तों ने अपना अधिकांश समय मानव आवासों के आसपास तथा उन स्थानों पर बिताया जहाँ मनुष्यों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता था। मोर्टेरस एवं अन्य ने इण्डोनेशिया के बाली तथा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले कुत्तों की जनसंख्या का अध्ययन किया, तो पाया कि आवारा कुत्तों की अधिकांश संख्या को सर्वेक्षणकर्त्ता द्वारा 'स्वामित्व वाला कुत्ता माना गया।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (The National Centre for Disease Control) द्वारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कुत्ते के काटने के कुल पंजीकृत मामलें और रेबीज से होने वाली मृत्यु के ऑकड़ों को एकत्र किया जाता है। एनसीडीसी के वर्ष 2024 के ऑकड़ों के अनुसार कुत्ते के काटने के पंजीकृत मामलों की कुल संख्या 37,17,336 थी, जबकि रेबीज से होने वाली मृत्यु की कुल संख्या 54 थी। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 में रेबीज से होने वाली मृत्यु की कुल संख्या क्रमशः 21 एवं 30 थी।

बेगलुरु में, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों के अध्ययन से पता चला कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच आवारा कुत्तों की जनसंख्या में 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी, जबकि नसबंदी दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यह आवारा कुत्तों के जनसंख्या–प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है।

वर्ष 2018 से 2023 तक Open Government Data Platform India द्वारा जारी कुत्तों के काटने के मामलों का राज्य–वार सारगर्भित विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है, जोकि निम्नवत् है:

क्रम सं.	राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023
01.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	444	475	364	432	345	484
02.	आंध्र प्रदेश	423935	373121	299981	257714	189225	189539
03.	अरुणाचल प्रदेश	2650	3186	2962	2108	2497	3757
04.	असम	77501	107254	34043	16070	39565	83176
05.	बिहार	288943	328096	123355	62658	141421	219086
06.	चंडीगढ़	15137	18378	14614	11157	5365	10621
07.	छत्तीसगढ़	39515	50529	45760	20147	21020	26286
08.	दादरा एवं नगर हवेली	4746	2668	2248	1849	4169	5113
09.	दमन एवं दीव	1915	3038	1799	1921	NA	NA
10.	दिल्ली	107642	45052	53450	17188	6634	16133

11.	गोवा	22527	22090	15204	6382	8057	10767
12.	गुजरात	455643	480424	442459	290447	169261	241846
13.	हरियाणा	132722	142873	104111	94522	35375	38529
14.	हिमाचल प्रदेश	34279	36227	17530	13459	15677	19160
15.	जम्मू और कश्मीर	32809	29263	19055	8773	22108	31314
16.	झारखण्ड	61122	71725	38187	31708	9470	27340
17.	कर्नाटक	307250	312198	221669	143253	163216	208656
18.	केरल	94165	81407	83836	119974	4000	63458
19.	लद्दाख	862	1568	1220	1578	2165	2316
20.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
21.	मध्य प्रदेश	280940	248680	179930	84478	65833	102275
22.	महाराष्ट्र	554908	625191	516385	446093	390878	435136
23.	मणिपुर	4574	5596	3357	1799	4442	2511
24.	मेघालय	9797	11249	8580	3930	5302	8374
25.	मिजोरम	1778	1658	4799	1034	891	1035
26.	नागालैंड	321	470	563	396	453	569
27.	ओडिशा	166888	177530	158705	112354	64642	80768
28.	पुडुचेरी	21774	22968	23118	9025	11937	12239
29.	पंजाब	81990	98880	34323	17585	15517	17414
30.	राजस्थान	384575	450558	329917	223750	87401	91864
31.	सिक्किम	5645	5886	5387	3286	3845	6069
32.	तमिलनाडु	770979	831044	766988	323190	364210	404488
33.	तेलंगाना	815864	167733	82954	53149	92613	108910
34.	त्रिपुरा	8719	8660	7819	4807	3051	5705
35.	उत्तर प्रदेश	1917113	2021103	658541	335110	191346	218379
36.	उत्तराखंड	46361	38864	23179	25807	15627	23536
37.	पश्चिम बंगाल	390434	443768	431649	488462	22627	42905
	कुल	7566467	7269410	4758041	3235595	2180185	2759758

*[**Source:** Bite Open Government Data (OGD) Platform India, (Accessed on 15.01.2026)]*

विश्व परिदृश्य में नीदरलैंड ने सीएनवीआर (इकट्ठा करना, नसबंदी करना, टीकाकरण करना और वापस छोड़ना) कार्यक्रम के माध्यम से 'आवारा कुत्ता मुक्त' राष्ट्र का दर्जा हासिल किया है। यह एक राष्ट्रव्यापी, सरकार द्वारा वित्त पोषित नसबंदी कार्यक्रम था। विश्व पशु संरक्षण एजेंसी का मानना है कि यह आवारा कुत्तों की जनसंख्या से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका है। नीदरलैंड सरकार ने नीदरलैंड में आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास में एक कुत्ता कर (होंडेनबेलास्टिंग) भी बनाया था।

इस्तांबुल, तुर्की में शहर प्रशासन द्वारा एक व्यापक ''ट्रैप–न्यूटर–वैक्सीनेट–रिटर्न (TNVR)" कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी किये गए कुत्तों के कानों पर टैग (Ear Markers) लगाए जाते हैं, और समुदाय के पशु प्रेमियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। बैंकॉक, थाईलैंड ने जनसंहार की नीति को छोड़कर ''ट्रैप–न्यूटर–वैक्सीनेट–रिटर्न (TNVR)'' पद्धति अपनाई। इस उपाय से रेबीज पर रोक लगी और कुत्तों के प्रति समुदाय में फैले आक्रोश में भी उल्लेखनीय कमी आई।

विश्व में कुत्तों को मानवजाति का सबसे वफादार मित्र माना जाता है। सबसे अधिक कुत्तों की जनसंख्या अमेरिका में है, उसके पश्चात् द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थ स्थान पर क्रमशः ब्राजील, चीन एवं जापान हैं जबकि भारत अभी भी कुत्तों की देखरेख और पालतू संस्कृति में सातवें स्थान पर है।

विश्व में सर्वाधिक कुत्तों वाले देश निम्नलिखित हैः

क्रमांक	देश	अनुमानित कुत्तों की संख्या
01.	अमेरिका	9 करोड़
02.	ब्राजील	5.5 करोड़
03.	चीन	5.4 करोड़
04.	जापान	2 करोड़
05.	रूस	1.7 करोड़
06.	यूनाइटेड किंगडम	1.2 करोड़
07.	भारत	1.1 करोड़ से 1.2 करोड़ तक
08.	जर्मनी	1.03 करोड़
09.	अर्जेंटीना	1 करोड़
10.	स्पेन	93 लाख

*[**Source:** World Population Review Statista World Atlas, (Accessed on 11.01.2026)]*

पशुओं को प्रदत्त विधिक प्रास्थिति पर प्रमुख वाद–निर्णय

भारतीय न्यायपालिका द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पशुओं के प्रति विधिक दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया है, जिसमें उन्हें एक निश्चित विधिक प्रास्थिति प्रदान की गयी है। इस संदर्भ में प्रमुख निर्णय निम्नवत् हैं:

- गीता सेशमानि बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि आवारा कुत्तों का प्रवजन, उनकी हत्या विधि विरूद्ध है। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ना अनिवार्य है, जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था।
- 'पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स बनाम गोवा राज्य' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण समस्या का समाधान उन्हें मारना नहीं है, बल्कि नसबंदी और टीकाकरण ही स्वीकार्य वैज्ञानिक विकल्प हैं। मानव सुरक्षा और रेबीज नियंत्रण महत्वपूर्ण विषय हैं, परन्तु इस आधार पर पशुओं के जीवन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने पुनः कहा कि प्रशासनिक विफलताओं का खामियाजा पशुओं को मारकर पूरा नहीं किया जा सकता है।
- एन. आर. नायर बनाम भारत संघ के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सर्कसों में कुत्तों के उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध को चुनौती दी गयी। इस मामले में मुख्य मुद्दा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के अर्न्तगत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 14 अक्टूबर, 1998 को जारी की गई अधिसूचना से सम्बन्धित था। इस अधिसूचना के अनुसार, शेर, भालू, बाघ, तेंदुआ और बंदर सहित सूचीबद्ध किसी भी प्राणी को प्रशिक्षित करना या प्रदर्शित करना किसी के लिए भी अधिकृत नहीं था। उच्चतम न्यायालय के निर्णीत किया कि यह अधिसूचना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के दायरे में आती है।
- याचिकाकर्ता ने दावा किया कि न्यायालय के निर्णय से उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन न्यायालय ने इस दावे को खारिज करते हुए अधिनियम की धारा 11(3) का उद्धरण दिया और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा एवं अन्य, 2014 के मामले का उदाहरण भी दिया, जिसमें कहा गया है था कि जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जिनसे पीड़ा होती है। इस मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उत्तेजना, प्रस्तुति या मनोरंजन अपर्याप्त था और धारा 11(3) के अंतर्गत छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए पात्र नहीं थे।
- मई 2023 में, उच्चतम न्यायालय की पांच–न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र संशोधन विधियों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 2023 के निर्णय में उल्लेख किया गया कि नए नियमों और विनियमों ने 2017 से पूर्व की घटनाओं की तुलना में पशुओं पर होने वाले दर्द और पीड़ा को काफी कम कर दिया था और इन संशोधित विधियों के सख्ती से प्रवर्तन का निर्देश दिया।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया कि संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन के अधिकार की गारण्टी देता है, केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अन्तर्गत

पशुओं को भी गरिमापूर्ण और पीड़ा–मुक्त जीवन जीने का अधिकार प्रदत्त करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 51A(g) केवल दिशा–निर्देश मात्र नहीं हैं। यह राज्य और नागरिकों पर बाध्यकारी कर्तव्य आरोपित करते हैं। इस निर्णय ने पशु कल्याण के क्षेत्र में 'पंचामृत' नामक पांच मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किये, जिसके अन्तर्गत पशुओं के प्रति करुणा, उनकी विशिष्ट स्थिति और उनके अधिकारों की विधिक मान्यता शामिल है। 'पंचामृत' नामक प्रतिपादित पांच मूलभूत सिद्धांत निम्नवत् हैः

1. पशुओं के प्रति दया का कर्तव्य।
2. पशुओं की मनुष्यों पर निर्भरता को स्वीकार करना।
3. पशुओं का एक विशिष्ट स्थान रखना।
4. पशुओं के अधिकारों का मानव अधिकारों से टकराव न होना।
5. पशुओं के विधिक व्यक्तित्व को मान्यता देना।

उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) को 'पशु अधिकारों का मैग्ना कार्टा' घोषित करना इस बात का प्रमाण है कि यह विशेषाधिकार इस राष्ट्र के लिए कितने महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं।

नारायण दत्त भट्ट बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में घोड़ों पर अधिक भार लादे जाने (ओवरलोडिंग) से सम्बन्धित एक वाद उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि राज्य के समस्त पशु जगत (पक्षी वर्ग से लेकर जलीय जीवों तक) को 'विधिक व्यक्ति माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड के नागरिकों पर पशुओं की रक्षा और संरक्षण का दायित्व 'इन लोको पैरेंटिस' की भाँति होगा साथ ही, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में, कोई भी व्यक्ति जो किसी पशु द्वारा खींचे जाने वाले वाहन का प्रभारी है, वह चालक और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़कर चार से अधिक व्यक्तियों को वाहन पर सवार होने की अनुमति नहीं देगा।

करनैल सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पशु साम्राज्य के सभी जानवरों, जिसमें पक्षी एवं जलीय प्रजातियाँ शामिल हैं, को विधिक इकाई के रूप में मान्यता दी। हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों को 'इन लोको पैरेंटिस' व्यक्ति घोषित किया गया, जिससे वह हरियाणा राज्य के भीतर सभी गैर–मानवीय जानवरों के अभिभावक के रूप में कार्य कर सकेंगे।

पीपुल्स चौरियटियर ऑर्गनाइजेशन (पीसीओ) बनाम भारत संघ के मामले में भारत के पशु जगत को आधिकारिक 'विधिक व्यक्तित्व' का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से पीपुल्स चौरियटियर ऑर्गनाइजेशन ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पशु, विशेष रूप से जलीय और पक्षी प्रजातियों को 'विधिक व्यक्ति' मानना और उनकी सुरक्षा के लिए नियम बनाना एवं उन्हें लागू करना था। उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सम्पूर्ण पशु जगत को मनुष्यों के समान अधिकार प्राप्त 'विधिक व्यक्तित्व' नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने माना कि याचिका का दायरा अत्यधिक व्यापक है और पशुओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा विधियाँ पर्याप्त है।

एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में उच्चतम ने जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी दौड़ और कंबला जैसे पारम्परिक खेलों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विधिक विवाद का समाधान किया। यह विवाद वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय के 'भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा एवं अन्य' के ऐतिहासिक निर्णय के बाद शुरू हुआ था, जिसमें इन खेलों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके प्रत्युत्तर में, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने वर्ष 2017 में इस केंद्रीय अधिनियम में संशोधन करके इन खेलों को अपने–अपने राज्यों में वैध बना दिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया तथा अन्य पशु अधिकार संगठनों ने इन राज्य द्वारा किये गये संशोधनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में राज्यों के वर्ष 2017 के संशोधित उपबन्धों को विधिक मान्यता देते हुये इन पारम्परिक खेलों को अपनी विशिष्ट शर्तों के साथ जारी रखने की अनुमति प्रदान की। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि जानवरों को संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत कोई मूल अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उनकी सुरक्षा का आधार विधायी ढांचा है, न कि संवैधानिक प्रावधान है। यह निर्णय भारतीय समाज में परम्परा और आधुनिक विधिक नैतिकता के बीच चल रहे संघर्ष पर एक विराम लगाता है।

आवारा कुत्तों से परेशान शहर, बच्चे चुका रहे कीमत' (In Re: "City Hounded By Strays, Kids Pay Price") के सम्बन्ध में, SMW(C) संख्या 5/2025 के मामले में मा. न्यायालय ने देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गम्भीर चिन्ता

व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों की अनियंत्रित बढ़ती संख्या जन–सुरक्षा के लिए एक वास्तविक और सतत् खतरा बन चुकी है। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि कुत्तों के काटने की बार–बार होने वाली घटनाएँ, विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, परिवहन केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर, गम्भीर प्रशासनिक कमियों को उजागर करती हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करने में राज्य की व्यवस्थागत विफलता को दर्शाती हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि मानवों पर होने वाले 90 प्रतिशत से अधिक हमले घरेलू अथवा आवारा कुत्तों के काटने से हैं। इसका दुष्प्रभाव विशेष रूप से बच्चों, वृद्धों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ता है, जो पहले से ही अधिक असुरक्षित हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक नगर निगम वार्ड में आवारा कुत्तों हेतु पृथक एवं चिन्हित भोजन स्थलों की स्थापना की प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ करें। इन भोजन स्थलों का निर्धारण सम्बन्धित वार्ड में आवारा कुत्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुये किया जाये तथा स्पष्ट सूचना–पट्ट लगाये जायें, जिनमें यह उल्लेख हो कि आवारा कुत्तों को भोजन केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही कराया जायेगा। सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी और निर्देशों के उल्लंघन पर विधि के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

निष्कर्ष

आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान न तो भावनात्मक अतिवाद से सम्भव है और न ही हिंसक या तात्कालिक उपायों से सम्भव है। दशकों के वैज्ञानिक अनुसंधान, वैश्विक अनुभव और भारतीय न्यायपालिका के सुस्पष्ट निर्णयों ने यह निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया है कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम ही आवारा कुत्तों के जनसंख्या प्रबंधन का एकमात्र प्रभावी, स्थायी और विधि–सम्मत उपाय है। पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 केवल नीतिगत दिशा–निर्देश नहीं हैं, यह एक पूर्णतः बाध्यकारी विधिक प्रावधान हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन स्थानीय प्राधिकरणों के लिए अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा पशुओं को गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की मान्यता, तथा यह स्पष्ट निर्देश कि प्रशासनिक विफलताओं का दुष्परिणाम पशुओं की हत्या के रूप में नहीं थोपा जा सकता, भारतीय संवैधानिक दर्शन की नैतिक ऊँचाई को रेखांकित करता है साथ ही, नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार की रक्षा हेतु राज्य और स्थानीय निकायों पर यह दायित्व है कि वह पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करें, अवैज्ञानिक उपायों से बचें और मानव–पशु सह–अस्तित्व को व्यवहारिक रूप में साकार करें।

अतः यह कहा जा सकता है कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन एक प्रशासनिक विवेकाधिकार नहीं है, यह संवैधानिक, विधिक और नैतिक कर्तव्य है। इसकी सफलता वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विधि का शासन और करुणा आधारित नीति के समन्वय पर निर्भर करता है।

सन्दर्भ सूची

1. https://images.assettype.com/barandbench/2020-09/8ab40a47-bf47-49e0-bc61-c5c2d07b4e99/SC_Animal_Cruelty_PIL__PCO_vs_UoI__.pdf, Accessed 10/01/2026.
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8724437/, Accessed 10/01/2026.
3. https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/About-NAPRE, Accessed 10/01/2026.
4. https://www.data.gov.in/resource/stateut-wise-number-dog-bite-cases-india-2018-2023, Accessed 10/01/2026.
5. National Rabies Control Programme – Annual Report 2022-2024, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi.
6. Regan, T. (1999) *Animal Rights, Human Wrongs, in Ethics and Animals.* (ed.) - 2003. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Maryland.
7. Singer, P. (1986) *All animals are equal. In P. Singer (Ed.), Applied ethics.* Oxford University Press, New York.
8. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960।
9. पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023।
10. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम, 2001।

****